अशोधित प्रति/ प्रकाशनार्थ नहीं

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8 बारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का प्रथम दिवस संख्या 1

मंगलवार,
18 सितम्बर, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

(अ) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1- भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007

2- राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007

(ब) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1- राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007

2- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007

3- राजस्थान वित्त विधेयक, 2007

4- राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 20075- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007

अध्यादेश

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 (वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या-5) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या-2) सदन की मेज पर रखता है।

श्री अध्यक्षः श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्रीमती उषा पूनिया।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या-3) सदन की मेज पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या-4) सदन की मेज पर रखती हूं।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पुर: स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 (वर्ष 2007 का अध्यादेश संख्या-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्री जी, शिक्षा मंत्री हैं क्या अभी? पॉवर तो सारे इनके दूसरों को दे रखे हैं। ये शिक्षा मंत्री की हैसियत से इनसे बिल रखवाया जा रहा है यहाँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अभी तो मैं आपकी छाती पर मूंग दल रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं हमारी पर क्यों मुख्यमंत्री जी की पर दलो। हमारी पर क्यों दल रहे हो? दलना है जिनकी पर दलो हमारी पर काहे के लिए दल रहे हो आप? हम तो अध्यक्ष महोदय, से सवाल पूछ रहे हैं, इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई और होता आपकी जगह तो इस्तीफा देकर फिर करता कार्यवाही। ...(व्यवधान)... छाती पर मूंग किसकी पर दल रहे हो आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, नैतिकता नाम की चीज तो है नहीं। बाहर तो कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं राम-राम, और शिक्षा मंत्री की हैसियत से यहां बिल रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कब कहा शिक्षा मंत्री नहीं हूं, शिक्षा मंत्री नहीं हूं ये कब कहां उन्होंने?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं तो हम तो ये ही तो पूछ रहे हैं कि ये हैं कि नहीं हैं। ...(व्यवधान)... इन्होंने ही कहा था आखिरी राम-राम मेरी। शिक्षा मंत्री की हैसियत से आखिरी राम-राम ये कहा था फिर ये शिक्षा मंत्री की हैसियत से रख रहे हैं कि काहे से रख रहे हैं? ये पूछ रहा हूं मैं तो आपसे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, नैतिकता की बात माहिर आजाद जी कर रहे हैं इनका नैतिकता से ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये कहा था कि शिक्षा मंत्री की हैसियत से ये मेरी आखिरी राम-राम है। फिर हम ये ही तो आपसे जानना चाह रहे हैं निहायत अदब से कि फिर ये जो यहां पर विधेयक को पुरःस्थापित कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को तो ये किस हैसियत से कर रहे हैं? इतना सा जान रहे हैं आपसे। हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं। छाती पर मूंग जिसकी पर दलना है उसकी पर दलो हिम्मत है तो। खण्डहरों को जवाब दो। आपकी जो बात है वो कहो हमारी पर काहे के लिए दलोगे। हम तो आपकी छाती पर बहुत जल्दी मूंग दलने वाले हैं। ...(व्यवधान)...

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन यह जानना चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री के कौन कौन से पॉवर विदड्रा किये हैं, कम से कम ये तो हमें बतायें। ये तो हमारा अधिकार है अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राम को मानते हैं कि नहीं पहले ये बतायें।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारा अधिकार है कि माननीय मुख्यमंत्री ये बतायें..।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले आप ये बतायें कि राम को मानते हैं कि नहीं।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी के कौन-कौन से पॉवर बिजनेस ऑफ रूल्स में विदड्रा किये हैं कम से कम ये तो जानने का अधिकार है हमें। ये शिक्षा मंत्री हैं, दूसरे मंत्री हैं रख सकते हैं इसमें हमें पूछने का अधिकार नहीं है लेकिन ये तो जानने का अधिकार है सदन को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी के कौन कौन से पॉवर विदड्रा किये हैं जिसके अन्तर्गत हम जानकारी रखें कि शिक्षा मंत्री के पर कतर दिये गये हैं इतनी छंटनी कर दी गई है इतनी इनकी साइज कर दी गई है ये तो जानने का हमें हक है माननीय अध्यक्ष महोदय। कम से कम ये तो बताया जाए अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैं किसी को बाध्य तो नहीं कर सकती कहने के लिए।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल जानने का अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, यह सदन जानने का अधिकार रखता है। यह सदन सुप्रीम है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह सदन सुप्रीम है। ...(व्यवधान)... सदन को यह जानने का अधिकार है बिजनेस रूल्स के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या अमेंडमेंट किये हैं यह जानने का हमें अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आसन पाँवों पर है। श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह अलग से है।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अलग से है, आप बोल रहे हो, आप नहीं गये उसमें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे अधिकारों की रक्षा करें। हम तो आपसे जान रहे हैं।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं, क्यों ये लोयल्टी बता रहे हैं। वहां तो मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं, यहां लोयल्टी बता रहे हैं आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमें जानने का पूरा अधिकार है।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक प्रश्न है आप इसका जवाब दीजिये।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संविधान सम्मत सरकार नहीं चल रही है। ...(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संविधान सम्मत सरकार नहीं चल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संविधान सम्मत सरकार नहीं चल रही है। हमें जानने का अधिकार है कि संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजनेस रूल्स के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री जी के कौन से पॉवर विदड्रा किये हैं जिससे कम से राजस्थान की जनता ये जान सके कि राजस्थान का मंत्रिमंडल किस ढंग से काम कर रहा है। मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मानें और मुख्यमंत्री पॉवर विदड्रा कर ले यह सरकार कैसे चल रही है अध्यक्ष महोदय। यह जानने का हमारा अधिकार है अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौन से नियमों में बोल रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बैठ जाइये।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, लोयल्टी बताने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं बता दें इस बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये कौन से नियमों में बोल रहे हैं? खड़े होकर कुछ भी बोलने लग जाएं...।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, लोयल्टी बताने की आवश्यकता नहीं है पार्टी मीटिंग नहीं है ये । ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, बैठ जाइये।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है ये संवैधानिक व्यवस्था है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान)... आप नियमों में आयें ...(व्यवधान)... कुछ पूछना है तो। कौन से नियमों में बोल रहे हैं? कौन से नियमों में बोल रहे हैं ये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): जोइंट रिस्पोंसिबिलिटी, मंत्री आपकी बात को मानें नहीं, ये कैसी सरकार चल रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अभी असेंबली चार पाँच दिन चलेगी आपको मौका मिलेगा। इस समय जो बात है उसे तो आप होने दीजिये। बिजनेस तो करने दीजिये।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बिल अभी रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):...(व्यवधान)... कार्य सलाहकार समिति में वो करेगी ...(व्यवधान)...

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): शिक्षा मंत्री के रूप में बिल रखा है इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री के रूप में बिल रखा है। शिक्षा मंत्री के कौनसे पॉवर विदड्रा किये, यह जानने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है । इनके बेचने के बाट दूसरे हैं इनके खरीदने के बाट दूसरे हैं। मंत्री को सज़ा हो जाए उसके बाद भी इस्तीफा नहीं। कहीं तो कोई कानून होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, पुर:स्थापित करें।

ans/akt 18092007 1b 1110

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, आप बाध्य नहीं कर सकती किसीको जवाब देने के लिए लेकिन हमारे हितों की तो रक्षा आप कर ही सकती है। आप संविधान प्रमुख के पद पर है, आप यहां बैठी है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठी है, हमारी विनती है आपसे कि कानून की और संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। विपक्ष के हितों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। सरकार तो कानून और संविधान से चलेगी। आप बाध्य नहीं कर सकती लेकिन हमारे हितों की रक्षा तो करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गरीमा से चलेगा(व्यवधान) सदन तो नियमों से चलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष: यह विधान सभा नियमों से और प्रक्रिया से चलेगी। आपको मौका मिलेगा आप कहियेगा। इस समय तो आप होने दीजिए। (व्यवधान) श्री प्रभूलाल सैनी।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): (व्यवधान) आप दो मिनिट बिराजिए (व्यवधान) आसन तो पैरो पर रहता है। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक ने मुझे व्यक्तिगत जानकारी दी है कि वह सदन का बहिष्कार करेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कहा कि वह सदन का बहिष्कार करेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप हमारी सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष: श्रीमती उषा पूनिया।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक न्यास संशोधन विधेयक,2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव रखती हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदर करते हुए एक मिनिट आपसे जानकारी चाहता हूं कि मुख्य सचेतक महोदय ने सदन के बहिष्कार के लिए मुझसे कहा है(व्यवधान) अब आप मुझे सुनना नहीं चाहते हो, यहां बैठे हो(व्यवधान)हमें गुमराह

करते हैं, यहां बैठे हैं ,यहां विराजमान है। यह कैसे आ गए सदन में,आप उनसे जवाब दिला दीजिए, हम भी उन्हीं की तरह चुनकर आए हैं। एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय क्या हो गया?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मैं सदन में नहीं आऊंगा, आप आ गए, आप बताइये क्यों आए यहां पर, आप कहिए, क्यों आए यहां पर । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको डाक्टर शिव गौतम के यहां ले जाना है क्या ? (व्यवधान) आपकी कोई व्यवस्था करनी है

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने कहा.....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): डाक्टर शिव गौतम के यहां (व्यवधान) व्यवस्था करनी है क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसे चीफ व्हीफ के खिलाफ आपको निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए जो एक माननीय सदस्य को यह कहे कि आपको शिव गौतम को दिखाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको मांफी मागनी चाहिए सदन से, यह क्या तरीका है ।(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कल्ला साहब डाक्टर शिव गौतम क्वालिफाइड डाक्टर है, एमडी है, सारे देश विदेश में उनका नाम है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनके द्वारा यह बात कही गई,मैं समझता हूं कि मांफी मागनी चाहिए इनको सदन से।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक न्यास संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री पुर:स्थापित करें।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक न्यास संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान लोक न्यास संशोधन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष को भी आप पुर:स्थापित करें।

राजस्थान संस्मारक,पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2007

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): पूछो खण्डहरों का क्या होगा(व्यवधान) खण्डहरों का क्या कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित करें।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष संशोधन विधेयक 2007 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): खण्डहरों को कौन करेगा ? (व्यवधान)

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन):अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान संस्मारक पुरातत्वीय संशोधन अध्यादेश 2007 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने अभी फरमाया है कि यह सत्र 4-5 दिन चलेगा तो यह तय कर लिया क्या कि विधान सभा के नियमों की पालना कभी करानी ही नहीं है, आपने नियम में व्यवस्था कर रखी है कि हाउस साल में साठ दिन चलेगा और इसकी कोई पालना नहीं होती। आपने स्वंय ने अभी आसन से कहा कि सत्र 4-5 दिन चलेगा। कोई कारपोरेशन डिसकस नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई लोकल बॉडी डिसकस होता नहीं(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पिछले 15 साल से नियमों की मजाक बना रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पैरो पर है। माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर मैं गत दिनों दिवगंत हुए ... (interruptions) ... I am very sorry to say to you. Please sit down.

माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल श्री सुन्दरलाल खुराना, हिमाचल प्रदेश के पूर्व उप राज्यपाल श्री बहादुर सिंह, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर साहिब सिंह वर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसीदास गुप्त, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री काजी लेंडप दोर्जी खांग शेरपा, लोकसभा के पूर्व सदस्य श्री हीरालाल डोडा,इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री छोगाराम बाकोलिया,श्री सम्पत राम, श्रीमती विद्या पाठक, श्री रामरघुनाथ चौधरी, श्री बालकृष्ण थानवी, श्री सुवालाल चौधरी,श्री जगदीश प्रसाद माथुर,श्री सोहनलाल भटनागर,श्री जगत सिंह झाला, तथा राजसमन्द जिले के देसूरी की नाल स्थान पर हुई सड़क दुर्घटना तथा हैदराबाद में हुए बम विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं। ... (interruptions) ... Please sit down. I say, please sit down. स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करिये। शोकाभिव्यक्ति के समय बोला नहीं जाता है, शोकाभिव्यक्ति के समय खड़ा नहीं हुआ जाता है। यह शोकाभिव्यक्ति हो रही है, शोकाभिव्यक्ति में खड़ा नहीं हुआ जाता। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, नाम छोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या हो गया आपको (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):हमारी तीसरी विधान सभा के एक माननीय सदस्य का देहांत हो गया, हमने सूचना दी फिर भी उनका नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या हो गया है, शोकाभिव्यक्ति की गम्भीरता को समझिये। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं।(व्यवधान(

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय सदस्य का नाम(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति की गम्भीरता को समझिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): देहांत हो गया उनका नाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढा):प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे निहत्थे और निर्दोष लोगों...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हमने इत्तिला कर दी फिर भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधान सभा के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): शोकाभिव्यक्ति के समय यह क्या बोल रहे हैं (व्यवधान) माननीय सदस्य किस तरह बोल रहे हैं ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम भी शोकाभिव्यक्ति की ही बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हैदराबाद वालो के साथ सहानुभूति है राजस्थान वालो के साथ सहानुभूति नहीं है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप लोग सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आपने भी पुरातत्व विभाग की गरिमा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीमा में रहिये। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): 26 लोग मारे गए उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है सदन को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति की गरिमा के विपरीत है गम्भीरता के विपरीत....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान की विधान सभा में पहली बार हो रहा है, यह शर्मनाक है(व्यवधान) जिन दिवगंत आत्माओं ने देश की सेवा की इतने सालों..(व्यवधान) आज उनकी शोकाभिव्यक्ति के समय इतना घिनोना...(व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): 26 निर्दोष लोगों को मारा गया सदन में सहानूभूति तक नहीं रखी जाए।(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से, आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से...

श्री अध्यक्ष: बड़े अफसोस की बात है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उन 26 नौजवानों की मां बहनों की क्या गलती है(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सदन की गरिमा रही है शोकाभिव्यक्ति के समय कोई खड़ा नहीं हुआ करता है। शोकाभिव्यक्ति होने दीजिए।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): लोकतंत्र की(व्यवधान) इस तरीके से आंदोलन करने वाले, उन पर गोली चलाने वाली सरकार के खिलाफ आप (व्यवधान) मुकदमा दर्ज किया जाए।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, पुलिस की गोली से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रहलाद गुंजल, मैं आपको नाम से पुकार रही हूं, मिस्टर प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): परम्परा तोड़ने का सवाल नहीं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं नाम से पुकार रही हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): इस सदन के पास श्रद्धांजलि के दो शब्द नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मैं आपको नाम से पुकार रही हूं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): (व्यवधान) बाबरी मस्जिद को तोड़कर आप लोग सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में रहने का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रणवीर सिंह। (व्यवधान) प्रहलाद गुंजल नाम से पुकार रही हूं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं नाम से पुकार रही हूं (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): लोकतंत्र की हत्या है।(व्यवधान

श्री अध्यक्ष: प्रहलाद गुंजल, मैं आपको नाम से पुकार रही हूं।

कैलाश/अरुण 18.9.07 11.20 **1c** (I)

माननीय सदस्य मैं आपको नाम से पुकार रही हूं । (व्यवधान) श्री प्रहलाद गुंजल मैं आपको नाम से पुकार रही हूं । (व्यवधान) श्री रणवीर सिंह गुढा मैं आपको नाम से पुकार रही हूं ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): .... (व्यवधान) 26 लोगों को गोलियों से भून दिया हो और इस सदन के पास उनको श्रद्धांजलि देने के लिये दो शब्द भी नहीं हो यह चुनौती है लोकतंत्र को, यह अपमान है लोकतंत्र का, हत्या है लोकतंत्र की ।

श्री अध्यक्ष: लोकतंत्र की हत्या तो आप कर रहे हैं ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, आपके परिवार का कोई सदस्य मारा जाता, अगर आपके परिवार का सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हुआ मारा जाता तो क्या आप उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट नहीं करते । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रणवीर सिंह गुढा आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उन्होंने अपने समाज के अधिकार के लिये लडते लडते कुर्बानी दे दी उनको भी इस सदन में श्रद्धांजलि दी जाये । *** लेकिन यह *** नहीं चलेगा । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का *** नहीं चलेगा । किसी एक गरीब समाज को, आदिवासी समाज को इस प्रकार से कुचलने की आपकी राजनीति नहीं चलने दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल मैं आपको नाम से पुकार नहीं हूं । मिस्टर रणवीर सिंह गुढा मैं आपको नाम से पुकार रही हूं । या तो आप सदन छोड कर चले जाये या आप चुपचाप बैठे रहें । यह शोकाभिव्यक्ति के समय कोई ऐसा नहीं किया करता । (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): अध्यक्ष महोदय, 26 लोग कर जाये और सदन में सहानुभूति भी नहीं हो यह .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है .... (व्यवधान) ... नहीं की जाती, जिस प्रकार से शोकाभिव्यक्ति के समय खडे होकर ... (व्यवधान)

*** अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, 26 लोगों को गोलियों से मार दो, बेगुनाह लोगों को और यह सदन उस पर श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं कर सकता यह राजस्थान की जनता के जवाब से बच नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर प्रहलाद गुंजल या तो आप सदन छोड कर चले जाये, आपसे निवेदन कर रही हूं या तो आप शांत होकर ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का *** अध्यक्ष महोदय, आप भी उसी विधान सभा क्षेत्र से आये हो जहां से हम लोग हैं । ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): राजस्थान की जनता 26 लोगों की हत्या करने वालों को इस सदन से बाहर कर देगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ... (व्यवधान) आप लोग स्थान ग्रहण कर लें । चुपचाप बैठे रहे, शांत होकर बैठे रहे या आप सदन छोड कर चले जाये । (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह सदन से निकालने की नहीं विचार करने की बात है ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख के चक्काजाम और 29 तारीख के चक्काजाम में क्या हुआ । (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): सहानुभूति की बात पर बाहर निकालने की बात नहीं है । (व्यवधान) गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): .... (व्यवधान) जिस तरीके से गोलियों से भून डाला उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करो । (व्यवधान) यह गुर्जरों को मारने वाली सरकार, समाजों को बांटने वाली सरकार, यह तानाशाही नहीं चलेगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन ने आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, आप सभी माननीय सदस्यों से यह आसन निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि या तो आप सदन को छोड कर चले जाये, मुझे मजबूर नहीं करे मार्शल को बुलाकर आपको बाहर निकालने के लिये ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, और आप कर ही क्या सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप जान ले सकते हो आप किसी को जान दे नहीं सकते । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रणवीर सिंह गुढा मुझे शोकाभिव्यक्ति करने दीजिए । मुझे शोकाभिव्यक्ति करने दीजिए । (व्यवधान) अंकित नहीं हो ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि नहीं दी जाय, ऐसा नहीं होगा । इस राजस्थान की गरिमा को बनाये रखे । (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 000

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री अध्यक्षः (व्यवधान) माननीय सदस्य, मिस्टर देवल जब तक ओथैंटिक सूचना नहीं आती है तब तक नहीं किया जाता ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री अध्यक्षः जब तक कलेक्टर के यहां से ओथैंटिक सूचना नहीं आती है तब तक नहीं किया जाता । (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): 000

श्री अध्यक्षः पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर का जन्म 1 जुलाई, 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी ग्राम में हुआ । आपने इलाहबाद विश्व विद्यालय से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की ।

वर्तमान चौदहवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश के बलिया निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे श्री चन्द्रशेखर छठी, सातवीं तथा नौवीं से तेहरवीं लोक सभा तक निरन्तर इसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे । आप वर्ष 1962 से 1977 तक लगातार तीन बार राज्य सभा के सांसद रहे । श्री चन्द्रशेखर 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक भारत के प्रधान मंत्री पद पर आसीन रहे । इस दौरान आपने अपनी कुशलता और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जन कल्याण की दिशा में उचित निर्णय लेने की पहल की । आप दो बार लोक सभा की आचरण समिति के सभापति रहे ।

श्री चन्द्रशेखर देश के सम्मानित राजनेताओं में से एक थे । प्रसिद्ध समाजशास्त्री आचार्य श्री नरेन्द्र देव के विचारों से प्रेरित होकर आपने वर्ष 1950 में राजनीति में प्रवेश किया । महत्वपूर्ण मुद्दों पर परम्परावादी विचारों से पृथक अपने सद्धांतों के कारण राजनीति के प्रारम्भिक वर्षो में आपको 'युवा तुर्क' के नाम से जाना जाता था । आप भेदभाव तथा अन्याय के प्रबल विरोधी थे ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: प्लीज इन तीनों के माइक बंद कर दिये जाये । इनके माइक बंद कर दीजिए । राजस्थान विधान सभा में पहली बार इस प्रकार से माननीय सदस्य शोकाभिव्यक्ति के दौरान इस प्रकार से मर्यादाहीन आचरण कर के इस विधान सभा की गरिमा को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं मैं समझती हूं आने वाला समय, आने वाली पीढी इस बारे में निश्चित तौर से विचार करेगी । आप क्या नई परम्परा डाल रहे हैं इस विधान सभा में । माननीय श्री गोविंद सिंह गुर्जर आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है । यह दोनों तो नये माननीय सदस्य हैं आप से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि शोकाभिव्यक्ति के दौरान आप जैसे वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार से खडे हो जाये । माननीय सदस्य, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, नसीराबाद से आने वाले माननीय गोविंद सिंह जी गुर्जर प्लीज स्थान ग्रहण करें ।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): 000

श्री अध्यक्ष: आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या मैं क्या कह रही हूं । (व्यवधान) मैं आप दोनों माननीय सदस्यों से कह रही हूं कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं । शोकाभिव्यक्ति के समय आप इस प्रकार का आचरण जो मर्यादाहीन है यह आचरण उचित नहीं है । इस विधान सभा की गौरवमय परम्पराएं रही हैं, इस विधान सभा में कभी ऐसा नहीं हुआ है जिस प्रकार का आप कर रहे हैं । मिस्टर गुंजल ऐसा कभी नहीं हुआ है । यह बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है आपका । आप गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं । आप का मर्यादाहीन व्यवहार है । मिस्टर रणवीर सिंह गुढा प्लीज सिट डाउन । क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं ।

दुर्गा/त्रिपाठी 18092007 1d 1130

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री अध्यक्ष: What do you want, क्या चाहते हैं आप, क्या बात है? आप या तो बैठें और नहीं तो सदन छोड़कर चले जाइये। आप चले जाइये सदन छोड़कर।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): 000

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रणवीर गुढा, यह आसन कोई आपसे निर्देशित होने वाला नहीं है। स्थान ग्रहण करें। मैं कह रही हूं, स्थान ग्रहण कर लें और यदि आप अब उठे तो मुझे निश्चित तौर से कुछ न कुछ आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसलिये मैं आपसे कह रही हूं अब आप मत बढ़ो। (व्यवधान) हां, जाओ, जाओ, पधारो, पधारो, हां जा सकते हैं आप बाहर। हां, बाहर जा सकते हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: आप या तो सदन छोड़कर चले जाएं। आप सदन छोड़कर चले जाएं। मिस्टर रणवीर गुढा, मिस्टर रणवीर गुढा, आपकी तो आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ी हुई है आपकी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रशेखर देश के सम्मानित राजनेताओं में से एक थे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आचार्य श्री नरेन्द्र देव के विचारों से प्रेरित होकर आपने वर्ष 1950 में राजनीति में प्रवेश किया। महत्वपूर्ण मुद्दो पर परम्परावादी विचारों से पृथक अपने सिद्धान्तों के कारण राजनीति के प्रारम्भिक वर्षों में आपको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। आप भेदभाव तथा अन्याय के प्रबल विरोधी थे।

उत्कृष्ट व ओजस्वी वक्ता श्री चन्द्रशेखर के भाषणों में नवराष्ट्र निर्माण का स्वर मुखरित होता था। आप विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के मध्य अपने विचार निर्भीकता से रखते हुए भी सदन की गरिमा का पूरा ध्यान रखते थे। सदन में उत्तेजनापूर्ण क्षणों में आपका हस्तक्षेप सदन में शांति स्थापित करने तथा कार्यवाही को नियमित करने में सहायक होता था। संसदीय लोकतंत्र के विकास में आपके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आपको वर्ष 1995 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया गया।

दृढ़ निश्चयी श्री चन्द्रशेखर ने राजनीति के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ कभी समझौता नहीं किया। आम जनता की समस्याओं को समझने के उद्देश्य से आपने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से राजघाट, दिल्ली तक 4260 किलोमीटर लम्बी पदयात्रा की। बुनियादी स्तर पर सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से आपने इस यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों में भारत यात्रा केन्द्रों की स्थापना की।

धर्म निरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक रहे श्री चन्द्रशेखर की नजर में ये मूल्य ही भारतीय राष्ट्र के मुख्य आधार स्तम्भ थे। इन मूल्यों के बल पर ही आपने श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री चन्द्रशेखर की 'मेरी जेल डायरी' तथा 'डायनामिक्स आफ सोशियल चेन्ज' नामक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आप साप्ताहिक 'यंग इंडियन' के संस्थापक सम्पादक और सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड के सभापति रहे।

श्री चन्द्रशेखर के निधन से राष्ट्र ने धर्म निरपेक्षता तथा जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए तत्पर श्रेष्ठ सांसद, योग्य प्रशासक और एक समर्पित समाजवादी नेता खो दिया है।

श्री चन्द्रशेखर का लम्बी बीमारी के पश्चात दिनांक 8 जुलाई, 2007 को निधन हो गया।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: तमिलनाडू के पूर्व राज्यपाल श्री सुन्दरलाल खुराना का जन्म दिनांक 28 फरवरी, 1919 को पश्चिमी पाकिस्तान के झांग प्रान्त में हुआ। आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री सुन्दरलाल खुराना मार्च, 1981 से 1982 तक दिल्ली के उपराज्यपाल तथा सितम्बर, 1982 से फरवरी, 1988 तक तमिलनाडू के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। वर्ष 1949 में प्रशासनिक सेवा में आये श्री खुराना राजस्थान में टोंक एवं कोटा के जिला कलेक्टर, जोधपुर के संभागीय आयुक्त, विकास विभाग के निदेशक तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष पद पर रहे। आप वर्ष 1971 से 1975 तक राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे। कुशल प्रशासक श्री खुराना ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय के उप सचिव सिहत अनेक पदों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया।

श्री खुराना वर्ष 1959 से 1962 तक अफगानिस्तान सरकार में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वरिष्ठ सामुदायिक सलाहकार भी रहे। इस दौरान आपने 12 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व किया। आप वर्ष 1980 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के सलाहकार रहे। श्री खुराना अखिल भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री सुन्दरलाल खुराना का दिनांक 31 मई, 2007 को निधन हो गया।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: हिमाचल प्रदेश के पूर्व उप राज्यपाल श्री बहादुर सिंह का जन्म दिनांक 5 अगस्त, 1910 को तत्कालीन कोटा के पलायथा ग्राम में हुआ। आपकी शिक्षा देहरादून के रॉयल मिलेट्री कॉलेज में हुई।

श्री बहादुर सिंह 16 मई, 1966 से 24 मई, 1971 तक हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): 000 अध्यक्ष महोदय, मैं बहिष्कार करता हूं, मैं बहिष्कार करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह द्वारा बहिर्गमन।)

श्री अध्यक्ष: इंग्लैण्ड में सेना का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आपको जनवरी, 1931 में भारतीय सेना में किंग कमीशन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आपने सेना में रहते हुए अनेक स्थानों पर कार्य किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आपने केप्टन के पद पर रहते हुए सिंगापुर स्थित सेना के मुख्यालय में गुप्तचर अधिकारी के रूप में कार्य किया। आपको युद्ध के दौरान सिंगापुर में युद्धबंदी बनाया गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के समय मेजर के पद पर कार्यरत श्री सिंह को भारती वापसी पर केबिनेट डिफेंस कमेटी का उप सचिव नियुक्त किया। दिसम्बर, 1946 में आपने

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

कर्नल के पद पर रहते हुए इंग्लैण्ड में लॉग स्टाफ कॉलेज कोर्स में भाग लिया। सेना में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे सम्मानित पदों पर कार्य करने वाले श्री सिंह अप्रैल, 1959 में स्थापित नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रथम कमान्डेट थे। आप लखनऊ स्थित सेण्ट्रल कमाण्ड के आर्मी कमाण्डर के पद पर रहते हुए अगस्त, 1966 में सेना की सेना से सेवानिवृत्त हुए।

श्री बहादुर सिंह का दिनांक 8 मई, 2007 को निधन हो गया।

दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री डाक्टर साहिब सिंह वर्मा का जन्म 15 मार्च, 1943 को दिल्ली के मूण्डका ग्राम के एक कृषक परिवार में हुआ। आपने एम.ए., एम.लिब. तथा पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डाक्टर साहिब सिंह वर्मा वर्ष 1993 में दिल्ली विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1993 से 1996 तक दिल्ली सरकार में शिक्षा तथा विकास विभाग के केबिनेट मंत्री रहे। वर्ष 1999 में आप तेरहवीं लोक सभा के सांसद निर्वाचित हुए तथा लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण समिति तथा आचरण समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2002 से 2004 तक आप केन्द्र सरकार में श्रम मंत्री रहे।

डाक्टर वर्मा वर्ष 1977 से 1989 तक दिल्ली महानगर पालिका चेयरमैन रहे। डाक्टर वर्मा के सरल और सौम्य स्वभाव ने उनकी प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा दिया था जिससे वे देश के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हो गये थे। डाक्टर वर्मा किसानों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के लोगों के हितों के हिमायती थे। केन्द्रीय श्रम मंत्री के रूप में आपने श्रमिक वर्ग के हितों के लिये काफी काम काम किया। दिल्ली के मुख्य मंत्री के रूप में आपने ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं शुरू कीं।

आपने लोक शिकायत निवारण आयोग की स्थापना करने के साथ ही राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति भी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुडे डाक्टर वर्मा भारतीय जनता पार्टी संगठन में पार्टी उपाध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे। अध्यापक वर्ग में लोकप्रिय रहे श्री वर्मा हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक 'हरिभूमि' के संस्थापक सम्पादक भी रहे।

डाक्टर साहिब सिंह वर्मा का दिनांक 30 जून, 2007 को राजस्थान यात्रा के दौरान एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।

हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास गुप्त का जन्म दिनांक 5 नवम्बर, 1917 को भिवानी जिले के मानहेरू ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान के पिलानी के बिरला इन्टर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की।

श्री बनारसी दास गुप्त तीन बार हरियाणा विधान सभा के सदस्रू निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अप्रैल, 1972 से नवम्बर, 1973 तक हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। कई वर्षों तक हरियाणा सरकार में मंत्री रहे श्री गुप्त एक बार

उप मुख्य मंत्री तथा दो बार हरियाणा के मुख्य मंत्री भी रहे। अप्रैल, 1996 में आप राज्य सभा के सांसद निर्वाचित हुए।

अखिल भारतीय वैश्य संघ के मुख्य संरक्षक तथा महाराज अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध संस्था के संस्थापक रहे श्री गुप्त अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

आप महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा नेहरू के सच्चे अनुयायी थे। आपने भूदान आन्दोलन के दौरान कई पदयात्राएं कर हजारों एकड़ भूमि अर्जित कर भूमिहीनों में वितरित करवाई। आपने स्वतंत्रता से पूर्व जींद राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना की तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किये गये आन्दोलनों में सक्रियता से भाग लेकर कई जेल यात्राएं कीं। आप छूआछूत, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अध्ययन एवं अध्यापन में रुचि रखने वाले श्री गुप्त ने अनेक नये स्कूल तथा कॉलेज खुलवाये। आपने हिन्दी साप्ताहिक 'अपना देश' तथा 'हरियाणा केसरी' का लम्बे समय तक सम्पादन किया।

श्री बनारसी दास गुप्त का दिनांक 28 अगस्त, 2007 को निधन हो गया।

Vps-akt-18.09.2007-11.40-1e-1

सिक्किम के पहले मुख्य मंत्री **श्री काजी लेंडप दोर्जी खांग शेरपा** का जन्म वर्ष 1904 में पूर्वी सिक्किम के पाकयोंग में हुआ। आपने तिब्बत स्कूल में शिक्षा प्राप्त की तथा दो वर्ष के लिए पुरोहिताई का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के बाद आप रूमटेक मॉन्टेसरी के प्रमुख लामा बने। आप इस पद पर आठ वर्षों तक रहे।

वर्ष 1970 में हुए आम चुनावों में श्री दोर्जी को एग्जिक्यूटिव काउंसलर नियुक्त किया गया तथा कृषि, पशुपालन और यातायात विभाग सौंपे गये। श्री दोर्जी 1972 तक इस पद पर रहे। अप्रैल, 1973 में सिक्किम जनता कांग्रेस तथा सिक्किम नेशनल कांग्रेस के विलय के पश्चात् आगामी आम चुनावों में भारी सफलता के फलस्वरूप श्री दोर्जी का दल सत्ता में आया। जुलाई, 1974 में सिक्किम के विकास के नये चरम की शुरूआत हुई और श्री दोर्जी के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। 16 मई, 1975 को सिक्किम के प्रथम मुख्य मंत्री बने और 18 अगस्त, 1979 तक इस पद पर आसीन रहे।

इससे पूर्व श्री दोर्जी ने वर्ष 1945 में सिक्किम प्रजामण्डल की शुरूआत की और इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गये। वर्ष 1952 में आप सिक्किम राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा वर्ष 1958 तक इस पद पर रहे। सिक्किम के भारतीय संघ में विलय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री दोर्जी सिक्किम राज्य के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। काजी साब के नाम से लोकप्रिय रहे श्री दोर्जी को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण तथा 2004 में सिक्किम रत्न से सम्मानित किया गया।

श्री काजी लेंडप दोर्जी खांग शेरपा का 103 वर्ष की उम्र में दिनांक 30 जुलाई, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व सांसाद **श्री हीरालाल डोडा** का जन्म दिनांक 01 मार्च, 1928 को डूंगरपुर जिले के पाल बोखला ग्राम में हुआ। आपने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से शिक्षा प्राप्त की।

श्री हीरालाल डोडा पांचवीं लोक सभा में बांसवाड़ा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोक सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री डोडा ने आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया।

श्री हीरालाल डोडा का दिनांक 08 मई, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व मंत्री एवं विधायक **श्री छोगाराम बाकोलिया** का जन्म 01 जनवरी, 1944 को बाड़मेर में हुआ। आपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजूकेशन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया।

श्री छोगाराम बाकोलिया सातवीं, आठवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में रेवदर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री बाकोलिया अक्टूबर, 1982 से मार्च, 1985 तक राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा मार्च, 1985 से अक्टूबर, 1985 तक राज्य मंत्री रहे। आप अक्टूबर, 1985 से फरवरी, 1990 तक स्वायत्त शासन, नगर विकास एवं आवासन, कृषि, ग्रामीण एवं पंचायती राज तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभागों के मंत्री रहे। ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप यातायात, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, आवासन, नगरीय विकास तथा स्वायत्त शासन विभागों के मंत्री रहे।

श्री बाकोलिया अपने सार्वजनिक जीवन में राजस्थान हथकरघा परियोजना मण्डल के अध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम के उपाध्यक्ष, राजस्थान पथ परिवहन निगम तथा राजस्थान दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप अनेक व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत भी रहे।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री बाकोलिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व उपाध्यक्ष, सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। आप दलित वर्ग के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री छोगाराम बाकोलिया का दिनांक 03 जुलाई, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व मंत्री **श्री सम्पतराम** का जन्म 17 जून, 1926 को अलवर जिले के ऊगणी ग्राम में हुआ। आपने राजऋषि कॉलेज, अलवर से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री सम्पतराम पहली, दूसरी, पांचवीं, छठी, सातवीं तथा नौवीं राजस्थान विधान सभा में विधायक रहे। विधान सभा में आपने लक्ष्मणगढ़-राजगढ़, तिजारा और खैरथल निर्वाचन क्षेत्र तथा कांग्रेस, जनता पार्टी तथा जनता दल का प्रतिनिधित्व किया। श्री सम्पतराम नवम्बर, 1954 से फरवरी, 1960 तक राजस्थान सरकार में उप मंत्री रहे। आप फरवरी, 1960 से मार्च, 1960 तक वन एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री रहे।

आप जून, 1977 से फरवरी, 1978 तक कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, बाढ़ एवं अकाल राहत, विधि, न्याय एवं संसदीय मामलात तथा फरवरी, 1978 से फरवरी, 1980 तक गृह, जेल, नागरिक सुरक्षा एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री रहे। आप जुलाई, 1990 से अक्टूबर, 1990 तक गृह, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभागों के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'ख' तथा गृह, गृह रक्षा, एवं नागरिक सुरक्षा, एकीकृत ग्रामीण विकास, विशिष्ट योजना संगठन, संसदीय मामलात तथा कारागार विभागों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री सम्पतराम अपने सार्वजनिक जीवन में जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति के सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष भी रहे।

श्री सम्पतराम का दिनांक 22 अगस्त, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व मंत्री **श्रीमती विद्या पाठक** का जन्म दिनांक 04 फरवरी, 1936 को जयपुर में हुआ। आपने हिन्दी एवं समाज शास्त्र विषय में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती विद्या पाठक छठी से नौवीं राजस्थान विधान सभा तक सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहीं। श्रीमती पाठक ने जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जुलाई, 1977 से फरवरी, 1980 तक राज्य सरकार में आयुर्वेद, पर्यटन, ऊर्जा तथा सिंचाई विभाग की राज्य मंत्री रहीं। जून, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक आप आयुर्वेद, आबकारी तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की मंत्री भी रहीं। विधान सभा में आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, पुस्तकालय समिति, प्राक्कलन समिति 'क', जन लेखा समिति तथा सामान्य प्रयोजन समिति की सदस्य रहीं। संसदीय परम्पराओं में गहरी आस्था रखने वाली श्रीमती पाठक वर्ष, 1980 से 1981 तक सभापति तालिका की सदस्य भी रहीं।

श्रीमती पाठक अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1980 में समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति, हिन्दी विधायी मण्डल तथा राजस्थान राज्य अल्प बचत परामर्शदात्री मण्डल की सदस्य रहीं। सरल, सौम्य स्वभाव की धनी श्रीमती पाठक अनेक शिक्षण संस्थाओं एवं महिला सेवा संस्थाओं से जुड़ी हुई थीं। आप सदन में भी महिला उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहीं। सम-सामयिक विषयों पर गहरी पकड़ रखने वाली श्रीमती पाठक के विभिन्न समाचार पत्रों में अनेक आलेख प्रकाशित हुए तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर आपकी वार्ताएं भी प्रसारित हुईं।

श्रीमती विद्या पाठक का दिनांक 04 सितम्बर, 2007 को निर्धन हो गया।

पूर्व सांसद और विधायक **श्री राम रघुनाथ चौधरी** का जन्म दिनांक 18 अगस्त, 1933 को हुआ। आपने बिड़ला कॉलेज, पिलानी से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री राम रघुनाथ चौधरी पांचवीं, छठी तथा सातवीं राजस्थान विधान सभा में डेगाना निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहे। आपने पांचवीं तथा छठी राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस तथा सातवीं विधान सभा में कांग्रेस (एस) का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा के कार्यकाल

के दौरान आप वर्ष 1977 से 1980 तक कांग्रेस विधायक दल के सचेतक भी रहे। आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य तथा अधीनस्थ विधान समिति के सभापति भी रहे। श्री चौधरी बारहवीं तथा तेहरवीं लोक सभा में नागौर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोक सभा में आप खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण समिति तथा खाद एवं रसायन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1965 से 1972 तक डेगाना पंचायत समिति के प्रधान तथा वर्ष 1965 से 1977 तक नागौर जिला परिषद के उप प्रमुख रहे। कृषकों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाले श्री चौधरी युवा कृषक समाज, राजस्थान के अध्यक्ष तथा भारतीय कृषक समाज के सदस्य रहे। आप भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण आयोग के भी सदस्य रहे। श्री चौधरी उदयपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल के सदस्य, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संचालक तथा राजस्थान फुटबाल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे।

लम्बे समय तक कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा महासचिव रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चौधरी अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे।

श्री राम रघुनाथ चौधरी का दिनांक 06 अप्रैल, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व सदस्य **श्री बालकृष्ण थानवी** का जन्म दिनांक 08 दिसम्बर, 1925 को जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री बालकृष्ण थानवी वर्ष 1977 में छठी राजस्थान विधान सभा के लिए फलौदी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान तथा जन कल्याण के लिए प्रभावी प्रयास किये।

सामाजिक सुधार के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री थानवी भूदान आन्दोलन और शराबबंदी अभियान से जुड़े रहे। श्री थानवी ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा आपातकाल तक लगभग 21 बार जेल यात्राएं कीं। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री थानवी हिन्दी साप्ताहिक 'जनपथ' से जुड़े रहे। आपने सामाजिक उत्थान व राजनैतिक पृष्ठभूमि पर आधारित गीतों की कई पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया।

श्री बालकृष्ण थानवी का दिनांक 13 जून, 2007 को निधन हो गया।

spp/Akt/11.50/1f/18.9.2007

पूर्व विधायक श्री सुवालाल चौधरी का जन्म 15 जुलाई, 2007 को जयपुर जिले के कापड़ियावास ग्राम में हुआ। आपने हिन्दी उर्दू में मिडल तथा हिन्दी एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की।

श्री सुवालाल चौधरी चौथी राजस्थान विधान सभा में दूदू सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1954 से 1959 तक तहसील पंचायत के सरपंच, वर्ष 1957 से 58 तक जयपुर जिला बोर्ड के सदस्य तथा वर्ष 1956 से 1960 तक पंचायत समिति के प्रधान रहे। आप वर्ष 1935 से 1957 तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे।

श्री सुवालाल चौधरी का दिनांक 13 मई, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं सांसद श्री जगदीश प्रसाद माथुर का जन्म 13 जनवरी, 1928 को सीकर में हुआ। आपने बी.ए. तथा एल एल बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर दूसरी राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1957 में सीकर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के विधायक निर्वाचित हुए। आप छठी लोक सभा के लिए वर्ष 1977 में सीकर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय लोक दल से सांसद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप वर्ष 1970 से 1976 तक राज्य सभा के सांसद रहे। श्री माथुर अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री माथुर वर्ष 1946 में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड गए थे। आपकी राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए आपको संगठन के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। आप राजस्थान प्रदेश भारतीय जनसंघ के मंत्री रहे तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। आप पार्टी की कार्यकारिणी समिति तथा परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप बिदावतका मिडल स्कूल, सीकर के प्रधानाध्यापक भी रहे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर का दिनांक 4 अगस्त, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री सोहन लाल भटनागर का जन्म 20 जनवरी, 1920 को उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे में हुआ। आपने बम्बई से एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री सोहन लाल भटनागर पहली एवं दूसरी राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आपने पहली विधान सभा में सराड़ा- सलुम्बर तथा दूसरी विधान सभा में सलुम्बर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अध्ययन में रूचि रखने वाले श्री भटनागर ने सलुम्बर में सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरूआत की। आप नवयुवक संघ पुस्तकालय, सलुम्बर के प्रेसीडेण्ट रहे। वर्ष 1943 से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री भटनागर वर्ष 1950 में तहसील कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेण्ट, जिला कांग्रेस कमेटी तथा प्रोवेन्शियल कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आपने सराड़ा और सलुम्बर तहसीलों के भीलों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री सोहन लाल भटनागर का दिनांक 11 अगस्त, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री जगत सिंह झाला का जन्म 27 अगस्त, 1915 को चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी में हुआ। आपने भूपाल नोबल हाई स्कूल, उदयपुर तथा महाराणा इन्टरमीडियट कॉलेज, उदयपुर में शिक्षा प्राप्त की।

श्री जगत सिंह झाला पहली राजस्थान विधान सभा में बड़ी सादड़ी निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री झाला अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1940 से 1943 तत्कालीन मेवाड़ सरकार में उदयपुर शहर में म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य तथा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री झाला वर्ष 1945-46 में भूपाल नोबल बोर्डिंग हाउस, उदयपुर के अधीक्षक वर्ष 1947 में क्षेत्रीय परिषद्, उदयपुर के सचिव तथा वर्ष 1948-49 में राजस्थान जागीरदार सभा की मेवाड़ शाखा के सचिव रहे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे श्री झाला विद्या प्रचारिणी सभा, उदयपुर तथा मेवाड़ चारण सभा से भी जुड़े रहे। वर्ष 1951 में जनसंघ से जुड़े श्री झाला राजस्थान के पहले आम चुनावों के लिए उदयपुर शहर जनसंघ के संयोजक भी रहे।

श्री जगत सिंह झाला का दिनांक 12 सितम्बर, 2007 को निधन हो गया।

मैं अपनी और से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की और से दिवगंत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

दिनांक 07 सितम्बर, 2007 को जैसलमेर जिले के बाबा रामदेव मेले के लिए रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक राजसमन्द जिले के 'देसूरी की नाल' नामक स्थान पर गहरी खाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 86 लोगों की मृत्यु हो गई तथा लगभग 58 लोग घायल हो गए।

दिनांक 25 अगस्त, 2007 को हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क और सुल्तान बाजार के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हुए दो शक्तिशाली बम विस्फोटों में 43 व्यक्ति मारे गए तथा बहुत-से घायल हुए।

मैं, इस सड़क दुर्घटना तथा बम विस्फोटों में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना की।

सदन की बैठक कल बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2007 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.55 बजे बुधवार, 19 सितम्बर, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

****